हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
19.11.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार मण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० की गई, वकील अप्रार्थीगन जवाब हेतु समय चाहते है जवाब हेतु 100/- cost भुगतान पर अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली मे विपक्षीगन के जवाब हेतु दिनांक 26.11.20 को पेश हो।
26.11.20	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में [illegible] है। पत्रावली दिनांक 3.12.20 को पेश हो। रीडर
3.12.20	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन [illegible] चुनाव कार्य में [illegible] है। पत्रावली दिनांक 17.12.20 को पेश हो।
17.12.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 7.1.21 को पेश हो। वकील प्रार्थीगण प्रा.प. 22 R 03 व धारा 151 जा.दी. पेश किया
7.1.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा संशोधित अनवान पेश किया जिसे शा.प० किया गया। वकील अप्रार्थीगण को प्रा.पत्र 22 R 03 की प्रति दिलायी गई, वकील प्रार्थीगण का संशोधित अनवान व प्रा.पत्र 22 R 03 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया गया। वकील अप्रार्थीगण जवाब नहीं देकर सीधी बहस करना चाहते है। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 1637, 1638, 1636, 1640 कृषि मे आने जाने हेतु रास्ता [illegible] की आराजी सं० 1631, 1635 [illegible] दिशा के सहारे-सहारे 20 फीट [illegible] रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की, [illegible] कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये का निवेदन किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील-माण्डल में स्थित आराजी नं. 1637, 1638, 1636, 1640 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 01 लगायत 04 की आराजी नं. 1631, 1635, 4676/1638 मे से दक्षिणी पूर्वी दिशा मेड़ के सहारे-सहारे आराजी चाह नं. 5412/1638 मे से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशी नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण का भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि की राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय [illegible] पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय [illegible] की प्रतिपालन 50 लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner